

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 418/वि-9/SLNA/13
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/04/2013

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC),
जिला-समस्त,
छत्तीसगढ़।

विषय:- IWMP परियोजनांतर्गत जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) एवं जलग्रहण विकास दल (WDT) सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अर्हता को शिथिल किये जाने के संबंध में।


- संदर्भ:-
01. विडियो कान्फ्रेंस दिनांक 01.04.2013
 - 02 छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 1706/पंग्राविवि/22/2012, दिनांक 21.02.2012 तथा पत्र क्रमांक 7408/पंग्राविवि/22/2012, दिनांक 06.10.2012
 - 03 छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 1702/पंग्राविवि/22/2012, दिनांक 21.02.2012 तथा पत्र क्रमांक 507/पंग्राविवि/22/2012, दिनांक 12.06.2012

—00—

संदर्भित विडियों कान्फ्रेंस में कई जिलों के कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया था कि एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनांतर्गत जलग्रहण विकास दल (WDT) सदस्यों की नियुक्ति हेतु वांछित अर्हता के उम्मीदवार नहीं मिलने से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। संदर्भ-2 द्वारा WCDC के सदस्यों एवं संदर्भ-3 द्वारा WDT सदस्यों की अर्हता सूचित की गई थी।

अतएव WCDC एवं WDT के सदस्यों की संविदा नियुक्ति के संबंध में उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्रों में निर्धारित अर्हता के उम्मीदवार न मिलने पर अर्हता को शिथिल करने का अधिकार कलेक्टर को दिया जाता है।

निर्धारित अर्हता में शिथिलता तभी दी जावेगी जब निर्धारित अर्हता के योग्य उम्मीदवार न मिलने की प्रक्रिया विज्ञापन के बाद भी निष्फल साबित हुई हो। साथ ही अर्हता में छूट इस प्रकार दी जायेगी कि किसी भी पद के लिए उम्मीदवार की अर्हता पूर्व की निर्धारित अर्हता से एक श्रेणी कम हो।


(देबाशीष दास)
सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//2//

पृ. क्रमांक 419/वि-9/SLNA/13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 22/04/2012

- 1 CEO-SLNA विकास भवन, रायपुर।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, सह परियोजना प्रबंधक (WCDC), जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-समस्त, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।


18/4/13

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग